महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–1627 / नौ–1–2017–14नि0से0 / 2005

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल, 2017

विषयः– स्थानीय नागर निकायों के कक्षों के परिसीमन हेतु शासन से जारी अनन्तिम अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि स्थानीय नागर निकाय चुनाव, 2017 मध्य जुलाई से पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है। इस कम में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर कक्षों के परिसीमन, पदो के आरक्षण एवं आवंटन की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किया जाना है। कक्षों के परिसीमन का अनन्तिम प्रस्ताव वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध कराये जाने संबंधी शासनादेश संख्या–869 / 9–1–2017–2 निर्वाचन / 2017, दिनांक 04 अप्रैल, 2017 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद से प्राप्त निकायों के परिसीमन से संबंधित प्रस्ताव पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त अनन्तिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जिसमें प्राप्त आपत्तियों हेतु 07 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नागर निकायों के कक्षों के परिसीमन से संबंधित अनन्तिम अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों का शासन स्तर से निस्तारण, समयाभाव के कारण किया जाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में अनन्तिम अधिसूचना के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनन्तिम अधिसूचना के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही आपत्ति प्राप्ति के 02 दिन के भीतर सुनिश्चित कराते हुए, अन्तिम अधिसूचना का आलेख्य हिन्दी एवं अंग्रेजी में 02 प्रतियों में, पैनड्राइव सहित निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव

संख्या–1627 (1) / नौ–1–2017, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नागर निकायों के कक्षों के परिसीमन से संबंधित जिलाधिकारियों से प्राप्त अन्तिम प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति सहित शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव